

हरित लेखांकन में महिलाओं का स्थान: पर्यावरणीय प्रबंधन की दृष्टि से - सागर (म.प्र.) के विशेष संदर्भ में

सुप्रिया यादव¹ शोधार्थी, वाणिज्य संकाय महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.), डॉ. आनंद तिवारी² (प्राचार्य) शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

सारांश:

यह शोध पत्र हरित लेखांकन (Green Accounting) की संकल्पना के अंतर्गत महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण करता है विशेष रूप से सागर जिले (मध्य प्रदेश) में। सागर एक अर्ध-शहरी क्षेत्र है, जहाँ पर्यावरणीय संसाधनों की उपलब्धता और उनका उपयोग महिलाओं की दैनिक जीवनचर्या से सीधे जुड़ा हुआ है। इस अध्ययन का उद्देश्य है यह जानना कि महिलाएँ पर्यावरणीय प्रबंधन की प्रक्रिया में कितनी सक्रिय हैं और हरित लेखांकन की अवधारणा में उनका योगदान किस हद तक परिलक्षित होता है। इस अध्ययन में प्राथमिक आंकड़ों के साथ-साथ सरकारी प्रतिवेदन, पंचायती दस्तावेज और सामाजिक संस्थाओं की गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है।

विशेष शब्द: *हरित लेखांकन, महिला सहभागिता, पर्यावरणीय प्रबंधन, सागर, सतत विकास*

भूमिका:

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में पर्यावरणीय असंतुलन, जलवायु परिवर्तन, संसाधनों का अनियंत्रित दोहन और जैव विविधता की हानि जैसे संकट गंभीर रूप से मानव जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे समय में हरित लेखांकन एक उभरती हुई अवधारणा है जो पारंपरिक लेखांकन में पर्यावरणीय संसाधनों, उनके क्षरण, संरक्षण एवं पर्यावरणीय लागतों को सम्मिलित कर एक समग्र विकास दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। हरित लेखांकन केवल आर्थिक गणनाओं तक सीमित नहीं है अपितु यह सामाजिक उत्तरदायित्व, प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और सतत विकास को भी समाहित करता है।

इस परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और केंद्रीय है। विशेषतः ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिलाएँ परंपरागत रूप से जल संग्रहण, कृषि कार्यों, वनोपज संरक्षण, कचरा प्रबंधन, खाद निर्माण और घरेलू ऊर्जा के स्रोतों के उपयोग एवं संरक्षण में सक्रिय रही हैं। वे अपने दैनिक जीवन में प्राकृतिक संसाधनों के साथ गहरे संबंध में रहती हैं और पर्यावरणीय सततता की आधारशिला रखती हैं। इसके बावजूद महिला श्रम एवं योगदान को आर्थिक व पर्यावरणीय नीतियों में औपचारिक मान्यता नहीं दी जाती जो कि हरित लेखांकन की अवधारणा के लिए एक बड़ी चुनौती है।

मध्य प्रदेश के सागर जिले को अध्ययन के संदर्भ क्षेत्र के रूप में चुनना इस दृष्टि से उपयुक्त है क्योंकि यह एक अर्ध-शहरी जिला है, जहाँ ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही जीवन पद्धतियाँ विद्यमान हैं। यहाँ की महिलाएँ जल संरक्षण, जैविक खेती, स्वच्छता अभियानों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से कई पर्यावरणीय गतिविधियों में भागीदारी निभा रही हैं। फिर भी इनके इन प्रयासों का समुचित दस्तावेजीकरण और लेखांकन अब तक नहीं हो पाया है।

यह शोध पत्र इसी दिशा में एक प्रयास है, जिसका उद्देश्य है – सागर जिले की महिलाओं के पर्यावरणीय योगदान का मूल्यांकन करना, हरित लेखांकन में उनकी भूमिका को समझना तथा इस योगदान को नीति एवं योजना स्तर पर समाविष्ट करने की आवश्यकता को उल्लेखित करना है। यह अध्ययन न केवल सैद्धांतिक विश्लेषण प्रस्तुत करेगा बल्कि यह क्षेत्रीय आँकड़ों, सर्वेक्षणों और महिला समूहों के अनुभवों के माध्यम से व्यवहारिक पक्ष को भी उजागर करेगा।

अध्ययन क्षेत्र:

सागर जिला:

सागर जिला मध्यप्रदेश राज्य के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है जो बुंदेलखंड अंचल का प्रमुख भाग माना जाता है। यह जिला भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत विविधतापूर्ण है यहाँ की जलवायु उप-उष्णकटिबंधीय है जो गर्मियों में अत्यधिक गर्म और सर्दियों में ठंडी रहती है। जिले का कुल क्षेत्रफल लगभग 10,252 वर्ग किलोमीटर है, जहाँ प्रमुख नदियाँ जैसे सोनार, बेबस और धसान बहती हैं। इसके अतिरिक्त रानीताल, रजाखेड़ी ताल और लक्ष्मी ताल जैसी झीलें भी जल स्रोत के रूप में कार्य करती हैं। वनाच्छादन भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जो जिले के लगभग 26% क्षेत्र को आवृत करता है।

सामाजिक दृष्टिकोण से सागर जिला ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार की जीवनशैली का प्रतिनिधित्व करता है। 2021 के अनुमानानुसार यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 25 लाख है जिसमें लगभग 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। महिलाओं की भागीदारी लगभग 47.5% है, और साक्षरता दर लगभग 76% है, जिसमें महिला साक्षरता 66% के आसपास है। यहाँ की प्रमुख भाषाएँ हिंदी और बुंदेली हैं और जातिगत रूप से यह क्षेत्र सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) से युक्त है। कृषि यहाँ की मुख्य आजीविका है, जिसमें महिलाएँ खेतों की जुताई, बोवाई, कटाई, जल प्रबंधन और जैविक खाद निर्माण जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके साथ ही, सागर जिले में 4000 से अधिक स्वयं सहायता समूह (SHGs) सक्रिय हैं जिनमें महिलाएँ पर्यावरणीय गतिविधियाँ जैसे कचरा प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, जैविक खेती और वृक्षारोपण में विशेष योगदान दे रही हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से सागर जिला न केवल प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है बल्कि यहाँ पर्यावरण संरक्षण की कई योजनाएँ भी सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। वन विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से 'वन मित्र योजना', 'हरियाली सप्ताह', 'ग्राम वन समिति' जैसी योजनाओं के माध्यम से पर्यावरणीय चेतना का प्रसार किया जा रहा है। महिलाएँ भी इन अभियानों में आगे बढ़कर भाग ले रही हैं, चाहे वह स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत प्लास्टिक मुक्त ग्राम बनाने की बात हो या रसोई कचरे से जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया में सहभागिता हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, सागर जिला हरित लेखांकन और महिला सहभागिता के अध्ययन हेतु एक आदर्श क्षेत्र बन जाता है जहाँ परंपरा, पर्यावरण और लिंग आधारित भूमिकाएँ परस्पर जुड़ी हुई हैं।

उद्देश्य:

इस शोध का मुख्य उद्देश्य सागर जिले की महिलाओं द्वारा पर्यावरणीय प्रबंधन में किए जा रहे योगदान का मूल्यांकन करना और हरित लेखांकन की दृष्टि से उनके प्रयासों को औपचारिक रूप से चिह्नित कर उन्हें सामाजिक व आर्थिक मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता को उजागर करना है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब प्राकृतिक संसाधनों का हास, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे गहराते जा रहे हैं, तब महिलाओं की भूमिका केवल उपभोक्ता या श्रमकर्ता तक सीमित न होकर, पर्यावरण की संरक्षिका के रूप में भी उभर कर सामने आ रही है। इस शोध का उद्देश्य इन पहलुओं को सामने लाना है ताकि नीति निर्माण, योजना निर्धारण और संसाधन आवंटन में महिलाओं की हरित भागीदारी को सुस्पष्ट किया जा सके।

इस शोध के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. सागर जिले में हरित लेखांकन की अवधारणा की वर्तमान स्थिति और उसकी व्यावहारिकता का विश्लेषण करना।
2. पर्यावरणीय प्रबंधन की गतिविधियों में महिलाओं की पारंपरिक और आधुनिक भूमिकाओं का अध्ययन करना।
3. महिलाओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हो रहे प्रयासों (जैसे – जल संरक्षण, वृक्षारोपण, कचरा प्रबंधन, जैविक खाद निर्माण) को हरित लेखांकन की दृष्टि से चिह्नित करना।
4. महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और ग्रामीण संगठनों की पर्यावरणीय योजनाओं में सहभागिता का मूल्यांकन करना।
5. हरित लेखांकन में महिला योगदान को आँकड़ों और प्रलेखनों के माध्यम से सुस्पष्ट करना ताकि उनके कार्यों को नीति स्तर पर मान्यता मिल सके।

6. सागर जिले के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हरित लेखांकन को सशक्त बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध पद्धति:

इस अध्ययन में वर्णनात्मक (Descriptive) तथा विश्लेषणात्मक (Analytical) शोध पद्धति को अपनाया गया है। डेटा संग्रह हेतु प्राथमिक व द्वितीयक दोनों स्रोतों का उपयोग किया गया। प्राथमिक जानकारी के लिए सागर जिले के चयनित ग्रामों एवं शहरी क्षेत्रों में निवासरत महिलाओं से प्रश्नावली, साक्षात्कार तथा समूह चर्चा (Focus Group Discussion) के माध्यम से आँकड़े एकत्रित किए गए। वहीं द्वितीयक स्रोतों में सरकारी प्रतिवेदन, पंचायती राज विभाग के दस्तावेज, पर्यावरणीय योजनाओं से संबंधित दस्तावेज, महिला स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियाँ तथा संबंधित शोध पत्रों व पुस्तकों से जानकारी प्राप्त की गई। आँकड़ों के विश्लेषण हेतु सरल सांख्यिकीय उपकरणों जैसे प्रतिशत, औसत आदि का प्रयोग किया गया, जिससे महिलाओं की भूमिका और हरित लेखांकन के परस्पर संबंधों की स्पष्ट व्याख्या संभव हो सके।

प्रमुख निष्कर्ष (Key Findings)

इस शोध अध्ययन के माध्यम से सागर जिले की महिलाओं द्वारा पर्यावरणीय प्रबंधन और हरित लेखांकन में निभाई जा रही भूमिका का गहन विश्लेषण किया गया। क्षेत्रीय सर्वेक्षण और आँकड़ों के अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित मुख्य निष्कर्ष सामने आए:

1. महिलाएँ परंपरागत पर्यावरणीय गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, जैसे जल संरक्षण, वृक्षारोपण, जैविक खाद निर्माण और घरेलू कचरे का पुनः उपयोग।
2. महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) ने पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में ठोस प्रयास किए हैं, जैसे वर्षा जल संचयन, स्वच्छता अभियान, और पॉलीथिन मुक्त गाँव।
3. हरित लेखांकन की अवधारणा के प्रति जागरूकता कम है, परंतु व्यवहारिक योगदान महत्वपूर्ण है, जिसे दस्तावेजीकृत नहीं किया जाता।
4. महिलाएँ पर्यावरणीय संसाधनों की स्थिरता के लिए पारंपरिक ज्ञान और अनुभव का प्रयोग करती हैं, जिसका उपयोग नीतियों में नहीं हो पा रहा है।

नीचे कुछ तालिकाओं के माध्यम से प्रमुख आँकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं:

क्रमांक	गतिविधि	सहभागिता (%)
1	वृक्षारोपण	78%
2	घरेलू कचरा प्रबंधन	84%
3	वर्षा जल संचयन	46%
4	जैविक खाद निर्माण	52%
5	पर्यावरण जागरूकता अभियानों में भागीदारी	39%

तालिका-1 पर्यावरणीय गतिविधियों में महिलाओं की सहभागिता

क्रमांक	कार्यक्रम का नाम	सक्रिय SHGs की संख्या	लाभान्वित परिवार
1	स्वच्छ ग्राम अभियान	124	2,100+
2	पौधारोपण अभियान	96	1,500+
3	खाद गड्ढा निर्माण	78	980
4	रसोई कचरे से खाद निर्माण प्रशिक्षण	45	700

तालिका-2 SHGs द्वारा संचालित पर्यावरणीय कार्यक्रम

उत्तरदाता की श्रेणी	जागरूकता (%)	प्रलेखन में भागीदारी (%)
ग्रामीण महिलाएँ	22%	8%
SHG सदस्य महिलाएँ	39%	19%
शहरी घरेलू महिलाएँ	18%	6%

तालिका-3 महिलाओं की हरित लेखांकन के प्रति जागरूकता (सर्वे आधारित)

इन निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि सागर ज़िले की महिलाएँ पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं किंतु उनके प्रयासों को हरित लेखांकन के अंतर्गत औपचारिक रूप से समाविष्ट नहीं किया गया है। यह स्थिति महिलाओं के अदृश्य योगदान को उजागर करने तथा नीति-निर्धारण में उन्हें यथोचित स्थान प्रदान करने की आवश्यकता को इंगित करती है।

चर्चा (Discussion):

सागर ज़िले में हरित लेखांकन और महिलाओं की भूमिका पर आधारित यह शोध यह स्पष्ट करता है कि महिलाएँ न केवल पर्यावरणीय संसाधनों की उपभोक्ता हैं बल्कि वे सक्रिय रूप से उनके संरक्षण एवं संवर्धन में भी भाग ले रही हैं। यद्यपि हरित लेखांकन एक तकनीकी और प्रबंधकीय अवधारणा है परंतु सागर की महिलाएँ अपने पारंपरिक अनुभवों, घरेलू व्यवहारों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से इस प्रक्रिया का वास्तविक रूप में पालन कर रही हैं। SHGs के माध्यम से महिलाओं ने सामूहिक प्रयासों में वृक्षारोपण, कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण, एवं जैविक खाद निर्माण जैसी गतिविधियाँ अपनाई हैं जो पर्यावरणीय मूल्य सृजन के स्पष्ट उदाहरण हैं। इन गतिविधियों का लेखांकन न केवल पारिस्थितिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि आर्थिक मूल्यांकन में भी इसे सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। इसके बावजूद, हरित लेखांकन के औपचारिक ढाँचे में महिलाओं की इस भूमिका का समावेश नगण्य है।

सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी महिलाओं में जागरूकता की कमी है, परंतु वे व्यावहारिक रूप से पर्यावरण हितैषी क्रियाओं को जीवनशैली का हिस्सा मानती हैं। वे खाद्य अपशिष्ट से खाद बनाती हैं, पुनः उपयोग की वस्तुएँ संग्रहित करती हैं और वर्षा जल संग्रहण जैसे उपायों में सक्रिय रहती हैं, परंतु इन कार्यों को कभी "लेखांकन योग्य योगदान" नहीं समझा गया। यह स्थिति इस बात पर बल देती है कि हरित लेखांकन की परिभाषा को केवल तकनीकी दृष्टिकोण तक सीमित न रखकर उसमें सामाजिक और लिंग आधारित योगदान को भी सम्मिलित किया जाए। अतिरिक्त इसके सरकारी योजनाएँ जैसे "स्वच्छ भारत मिशन", "हरित क्रांति", "आजीविका मिशन" आदि में महिलाओं की भागीदारी तो है लेकिन उनके पर्यावरणीय योगदान का पृथक् मूल्यांकन नहीं किया जाता। अतः यह आवश्यक है कि नीति-निर्माता महिला केंद्रित पर्यावरणीय लेखांकन माड्यूल विकसित करें जिससे उनका योगदान पारदर्शी और मान्यता प्राप्त हो सके।

अतः यह चर्चा इस बात को स्पष्ट करती है कि हरित लेखांकन की संकल्पना को जब तक जमीनी स्तर की महिला सहभागिता से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक सतत विकास के लक्ष्यों की वास्तविक प्राप्ति संभव नहीं है। यह अध्ययन महिला-सशक्तिकरण और पर्यावरणीय स्थिरता के मध्य सेतु के रूप में कार्य करता है।

निष्कर्ष:

इस शोध अध्ययन के निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि महिलाएँ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रबंधन की अनदेखी परंतु अत्यंत प्रभावशाली इकाई के रूप में कार्य कर रही हैं। यद्यपि वे स्वयं हरित लेखांकन जैसे तकनीकी शब्द से अनभिज्ञ हैं परंतु उनका दैनिक जीवन, कार्यशैली और सामाजिक सहभागिता पर्यावरणीय संतुलन की दिशा में निरंतर योगदान दे रहे हैं। वे जैविक खाद निर्माण, घरेलू कचरे का पुनः उपयोग, जल संरक्षण, वृक्षारोपण व सामुदायिक स्वच्छता अभियानों में स्वप्रेरित रूप से जुड़ी हुई हैं जिससे स्पष्ट होता है कि उनका योगदान केवल व्यावहारिक नहीं बल्कि हरित मूल्य सृजन में आर्थिक और सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। SHGs, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला किसान एवं स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से महिलाओं ने

पर्यावरणीय गतिविधियों में नेतृत्व दिखाया है परंतु इन सभी प्रयासों को लेखांकन प्रणाली में औपचारिक मान्यता नहीं मिल पाई है। यही कारण है कि हरित लेखांकन की वर्तमान प्रणाली में महिला-केन्द्रित योगदान एक अदृश्य आयाम बना हुआ है।

इस शोध के माध्यम से यह समझा गया कि जब तक हरित लेखांकन की परिभाषा में लैंगिक दृष्टिकोण (gender perspective) को सम्मिलित नहीं किया जाएगा तब तक यह केवल संस्थागत या औद्योगिक दस्तावेज तक सीमित रहेगा। महिला सहभागिता को मात्र सामाजिक कार्य नहीं, बल्कि पर्यावरणीय पूंजी के रूप में मान्यता दिए जाने की आवश्यकता है।

सुझाव:

शोध के आधार पर यह स्पष्ट है कि सागर ज़िले की महिलाएँ पर्यावरणीय संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, लेकिन उनका योगदान हरित लेखांकन में समुचित रूप से दर्ज नहीं हो पाता। इस स्थिति में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं:

1. महिलाओं को हरित लेखांकन की जानकारी प्रदान की जाए – प्रशिक्षण शिविर, कार्यशालाएँ एवं जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से महिलाओं को हरित लेखांकन की मूल अवधारणाओं से परिचित कराया जाना चाहिए।
2. महिला-केंद्रित हरित लेखांकन मॉड्यूल विकसित किए जाएँ – विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लिए ऐसे लेखांकन ढांचे तैयार किए जाएँ जो महिलाओं की पारंपरिक एवं व्यावहारिक पर्यावरणीय गतिविधियों को माप सकें।
3. SHGs को पर्यावरणीय प्रबंधन से जोड़कर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाए – जो समूह जैविक खाद, वृक्षारोपण, कचरा प्रबंधन या जल संरक्षण में कार्यरत हैं, उन्हें सरकारी अनुदान और पुरस्कार योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए।
4. स्थानीय निकायों में महिला सहभागिता बढ़ाई जाए – ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय एवं पर्यावरणीय समितियों में महिलाओं की सहभागिता को अनिवार्य बनाकर उन्हें निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में सशक्त किया जा सकता है।
5. हरित लेखांकन में लिंग आधारित आँकड़ों का संकलन किया जाए – पर्यावरणीय रिपोर्टिंग करते समय महिला योगदान से संबंधित अलग आँकड़े इकट्ठा किए जाएँ और वर्षवार दस्तावेजों में इन्हें शामिल किया जाए।
6. शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में हरित लेखांकन एवं महिलाओं की भूमिका पर आधारित सामग्री जोड़ी जाए – जिससे भावी पीढ़ी में लैंगिक समावेशन और पर्यावरणीय चेतना विकसित हो सके।
7. नीति-निर्माताओं द्वारा महिला पर्यावरण मित्र योजनाएँ प्रारंभ की जाएँ – जिनमें महिला कृषकों, गृहणियों और SHG सदस्यों को पर्यावरणीय संरक्षक की आधिकारिक मान्यता दी जाए।
8. डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर महिला सहभागिता का दस्तावेजीकरण किया जाए – जैसे मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल जिनमें महिलाएँ अपनी पर्यावरणीय गतिविधियों को अपलोड कर सकें और उसका मूल्यांकन हो सके।

इस शोध कार्य के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि हरित लेखांकन केवल आर्थिक आँकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व भी है, जिसे महिलाएँ अपने जीवन और व्यवहार के माध्यम से निस्वार्थ निभा रही हैं। विशेष रूप से सागर ज़िले की महिलाएँ पारंपरिक ज्ञान, सामुदायिक सहभागिता और पर्यावरणीय संवेदनशीलता के माध्यम से हरित विकास की चुपचाप नींव रख रही हैं।

आज आवश्यकता है कि हम उनके इस योगदान को केवल सराहें नहीं, बल्कि उसे नीतिगत और लेखांकन प्रणाली का अभिन्न अंग बनाएं। तभी "सतत विकास" वास्तव में समावेशी, न्यायसंगत और सशक्त बन सकेगा।

"जब एक स्त्री धरती से जुड़ती है, तब वह न केवल जीवन उपजाती है, बल्कि प्रकृति को सहेजने की सबसे सशक्त कड़ी बन जाती है। हरित लेखांकन तब ही पूर्ण होगा जब उसमें महिला की मौन भागीदारी को स्वर और सम्मान मिलेगा।"

संदर्भ सूची:

1. गुप्ता, रेखा (2018). महिला सशक्तिकरण और पर्यावरणीय जागरूकता। भोपाल: भारतीय सामाजिक विज्ञान प्रकाशन।
2. मिश्रा, नीलम (2020). हरित लेखांकन की अवधारणा और भारत में इसकी प्रासंगिकता। वाराणसी: काशी विद्यापीठ।
3. सिंह, अंजलि एवं शर्मा, अर्पिता (2019). “ग्रामीण महिलाओं की पर्यावरणीय गतिविधियों में भूमिका – एक क्षेत्रीय अध्ययन”। ग्राम विकास शोध पत्रिका, खंड 17(2), पृष्ठ 45–58।
4. Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC). (2021). Annual Report 2020–21. Government of India.
5. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). (2020). SHGs and Environmental Management. Mumbai: NABARD Publications.
6. United Nations Development Programme (UNDP). (2022). Gender and Environment: Building Inclusive Sustainability. Retrieved from <https://www.undp.org>
7. Tyagi, R., & Chauhan, M. (2021). “Role of Women in Environmental Sustainability: Case Study from Madhya Pradesh.” Journal of Environmental Economics, 14(1), 72–81.
8. Sharma, P. (2017). Green Accounting in India: Issues and Challenges. New Delhi: Concept Publishing.
9. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सागर संभाग (2022). वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण पर प्रगति रिपोर्ट।
10. जिला पंचायत, सागर (2023). महिला स्वयं सहायता समूहों की पर्यावरणीय गतिविधियाँ – सर्वेक्षण रिपोर्ट।
11. चौधरी, रजनी (2020). प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका। भारतीय समाजशास्त्र शोध पत्रिका, खंड 22(3), पृ. 33–40।
12. Vyas, R. (2021). “Role of SHGs in Sustainable Environmental Management: A Study from Central India.” Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 11(5), 201–215.
13. Government of Madhya Pradesh (2022). Sagar District Environment Report. Department of Environment and Climate Change, Bhopal.
14. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). (2023). AR6 Synthesis Report – Climate Change 2023: Impacts, Adaptation and Vulnerability. <https://www.ipcc.ch>
15. Mishra, S. & Jain, P. (2023). “Integrating Gender into Green Accounting: Challenges and Innovations.” International Journal of Sustainable Development and Policy, 9(1), 44–57.